संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

मध्यप्रदेश

क्रमांक – 4/रा.बी.सहा.नि./2014/74 भोपाल, दिनॉक 25 फरवरी, 2014

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला इंदौर, मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य बीमारी सहायता निधि उपचार योजना के हितग्राही रोगियों के संबंध में।

सदर्भ :– आपका अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 3537, दिनॉक 11.02 2014

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि के पत्र क्रमांक 4/रा.बी.सहा.नि./2013/386, दिनॉक 7.10.2013 एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 4/एस.आई.ए.एफ/2013/469 दिनॉक 10.12.13 द्वारा जारी दोनों निर्देश पत्रों का पुनः अवलोकन करें। इसके साथ संचालनालय से जारी पत्र क्रमांक 4/रा.बी.सहा.नि./2014/43, दिनॉक 11.02.2014 का भी अवलोकन करें। **उक्त तीनों पत्र, विभाग की वेवसाइट www.health.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।**

संचालनालय के पत्र दिनांक 07.10.2013 में स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि योजना अंतर्गत जिन बीमारियों का उपचार/आपरेशन शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध है, उन्हीं रोगियों को संबंधित शासकीय संस्थानों में उपचार हेतु भेजें जावें। जो उपचार सुविधाऐं शासकीय अस्पतालों में नहीं है उन्हें मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को भेजें जावें। इमरजेंसी में रोगी के हित में निकटतम मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा प्रायवेट अस्पतालों में भेजें। संचालनालय के पत्र दिनांक 11.02.2014 के संलग्न प्रपत्र 1 एवं 2 में शासकीय मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में योजनान्तर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी गई है। **अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें।**

यदि जिन शासकीय मेड़िकल कालेज अस्पतालों में योजनान्तर्गत उपचार/आप्रेशन की चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध नही हैं, तो उन अस्पतालों में रोगियों को एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु नहीं भेजा जावें।

योजनाओं के अंतर्गत उपचार राशि की स्वीकृति, निर्धारित उपचार पैकेज के मान से, संबंधित चिकित्सा संस्था हेतु, योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के उपचार हेतु तत्परता से लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय–सीमा में की जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. के.एन. चौहान)
संचालक(रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक –4 / रा.बी.सहा.नि. / 2014 / 75 भोपाल, दिनॉक 25 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
6. समस्त अधिष्ठाता / अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज / अस्पताल म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
8. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
11. प्रभारी, एम.आई.एस., संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं। बेबसाइट पर लोड करने हेतु ।

संचालक(रा.बी.स.नि.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.